दिनांक 28.03.2017 को 3.00 बजे अपराहन में कृषि विभाग, विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि की उप समिति की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित।
2. किसान क्रेडिट कार्ड/कृषि ऋण एवं अन्य Allied Activity (Dairy, Fishery, Poultry) अन्तर्गत On Line आवेदन सृजित करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक में ऑन लाईन (On Line) के० सी० सी० आवेदन सृजित करने की सुविधा है। नबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि Personal Loan में On Line की सुविधा है। अतः तंत्र (System) में पारदर्शिता (transparancy) आए इसके लिए के० सी० सी० ऋण में On Line आवेदन सृजित करना आवश्यक है। प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से सभी बैंकों के प्रमुख को किसान क्रेडिट कार्ड/कृषि ऋण एवं अन्य Allied Activity (Dairy, Fishry, Poultyr) अन्तर्गत On Line आवेदन सृजित करने पर विचार करने के लिए कृषि विभाग के स्तर से सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० को पत्र लिखने का निदेश दिया गया।

   कार्रवाई : सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।
3. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत राज्य के किसानों को वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको/सहकारिता बैंकों से 3 लाख रूपये तक फसल ऋण/के० सी० सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर समय पर ऋण की अदायगी करने वाले कृषकों को 1%(एक प्रतिशत) की दर से ब्याज अनुदान मद में 10.00(दस) करोड़ रूपये की लागत पर योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा राशि नबार्ड को उपलब्ध कराने की जानकारी उपस्थित बैंक अधिकारियों को दी गई। नबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा इस सम्बन्ध में बैंकों को भेजे जाने वाले परिपत्र प्रारूप पर शीघ्र कृषि विभाग की सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

   कार्रवाई : सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।
4. नबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि नए किसान क्रेडिट कार्ड तथा नवीकृत किसान क्रेडिट कार्ड के आंकड़े सही नहीं प्रतीत होते हैं। उन्होंने इसकी जाँच डी० एल० सी० सी० (DLCC) की बैठक में कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही राज्य के सभी योग्य कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध उपस्थित बैंक अधिकारियों से किया गया। उन्होनें बतलाया कि राज्य के कितने कृषक को के० सी० सी० उपलब्ध हो पाया है तथा कितने किसान के० सी० सी० से वंचित हैं इसकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने प्रखंड स्तर पर इसका सर्वे कराने तथा इसकी एक सूची तैयार कराने पर बल दिया गया।

   कार्रवाई : सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, पटना।
5. प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बतलाया गया कि राज्य के किसानों को कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत बैंकों से ऋण की स्वीकृति में परेशानी हो रही है। उन्होंने बतलाया कि कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत अनुदान की राशि कृषकों के खाते में बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के साथ समझौता (Agreement) आवश्यक है। वर्तमान में कृषकों को अपने श्रोत से राशि जमा कर कृषि यंत्र क्रय करने पर अनुदान राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कृषि यंत्रो के क्रय हेतु अधिक से अधिक किसानों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। कृषि निदेशक द्वारा अनुदान की राशि को पूर्व में समायोजित कर कृषि यंत्रों पर ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध बैंक अधिकारियों से किया गया। बैंक अधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि अनुदान की राशि बैंकों को प्राप्त होने पर इसका समायोजन कर लिया जाता है तथा अवशेष राशि पर हीं ब्याज लिया जाता है।

   कार्रवाई : सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, पटना।
   संयुक्त निदेशक(शष्य), अभियंत्रण, बिहार, पटना।

6. निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना द्वारा बतलाया गया कि राज्य के बटाईदार/पट्टाधारी एवं भूमिहीन कृषकों को ऋण लेने में परेशानी हो रही है। कृषकों के अधिक से अधिक Joint Liability Group (JLG) का निर्माण कर कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। उन्होंने बतलाया कि भारत सरकार का निदेश है कि जितने भी बैंक खाताधारी कृषक हैं जिन्हें योजना का लाभ मिल रहा है उनके खाते को आधार नम्बर से जोड़ा (Link) किया जाय। कृषकों के बैंक खाता आधार नम्बर से Link नहीं होने की स्थिति में उन्हें अनुदान की राशि उपलब्ध कराने में परेशानी होगी। उन्होंने उपस्थित बैंक अधिकारियों से इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का अनुरोध किया ताकि राज्य के किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने में भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो।

कार्रवाई : सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, पटना।

7. एस० एल० बी० सी० की कृषि की उप समिति की अगली बैठक अप्रैल 2017 के अन्तिम सप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

कार्रवाई : सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

6.4.2017

(सुधीर कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 1511 दिनांक : 07-4-17

प्रतिलिपि : सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.4.2017
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 1511 दिनांक : 07-4-17

प्रतिलिपि : निदेशक, पशु एवं मत्स्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, डेयरी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/उप महाप्रबंधक, कम्फेड, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक(शष्य), अभियंत्रण, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकरी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिषन, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य), सूचना, बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक(सा०), बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य), पी०पी०एम० कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.4.2017
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 1511 दिनांक : 07-4-17

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

6.4.2017
सरकार के प्रधान सचिव।